निग/2983/II/15

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर संभाग

1– कल्लोबाई पुत्री दुर्गा काछी ,

सकिन बोरी कलॉ, तहसील हटा, जिला दमोह म0 प्र0

2– लक्ष्मीरानी पत्नि आशाराम काछी

साकिन कुंडलपुर, तहसील पटेरा, जिला दमोह म0 प्र0

3– खुमान पिता भगौना काछी, 4– धनीराम पिता खुमान काछी

5– हरिबाई पिता खुमान काछी, 6 खिलान पिता खुमान काछी,

निबासी ग्राम सतरिया , तहसील पटेरा जिला दमोह म0 प्र0

.....आवेदकगण

वनाम

1– ललती बाई पिता आशाराम काछी ,

ग्रम बोरी कलॉ, तहसील हटा, जिला दमोह, म0 प्र0

2– झुत्ता बाई पिता आशाराम काछी , पति सुंदर काछी,

ग्रम हिनमत पटी, तहसील हटा, जिला दमोह, म0 प्र0

3– नंदिनी उर्फ नन्नी पिता आशाराम काछी ,पति टीकाराम काछी

निबासी ग्राम सकौर, तहसील हटा, जिला दमोह म0प्र0

..... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :–

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

1– यह कि आवेदकगण यह निगरानी न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय हटा, जिला दमोह द्वारा प्र0क0 01/अ–6 बर्ष 2014–15 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 30/06/2015 से परिवेदित

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

कल्लो बाई विरूद्ध ललती बाई

2981 अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी –दो/2014 जिला–दमोह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-9-2015	प्रकरण में आवेदक की ओर से श्री राजेन्द्र पटेरिया अभि0 उपस्थित । आवेदक अभिभाषक को सुना गया। आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में बताया गया कि यह प्रकरण मुख्यतः नामांतरण से संबंधित है । यह भी बताया गया कि ग्राम कुण्डलपुर प0ह0कहमांक–16/26 तहसील पटैरा जिला दमोह की भूमि रकवा 0.57 है0 राजस्व अभिलेख में दुर्गा पुत्र सांवरे काछी के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज थी । दुर्गा काछी की मृत्यु दिनांक–15.9.2000 के बाद उसके नाम की भूमि पर आवेदक गण काबिज हो गये जो आज तक काबिज है । यह भी बताया कि दुर्गा के दो पुत्रिया थी कल्लो वाई एवं कला बाई तथा एक पुत्र आशाराम थे । दुर्गा के पुत्र आशाराम की भी मौत हो गयी तथा उसके वारिस रिस्पो0 गण है । आवेदिका दुर्गा की पुत्री है । यह भी बताया गया कि दुर्गा की मृत्यु के 14 वर्ष बाद ग्राम कुंडलपुर की नाांतरण पंजी कमांक–25/102/100 पर पारित आदेश दिनांक 18.6.14 दुर्गा के सभी वारिसों के नाम दर्ज हो गये । इस आदेश की आधार हीन अपील अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गयी उक्त धारा 5 के आवेदन को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना किसी पर्याप्त आधार के स्वीकार किया जाकर अपील सुनवाई हेतु ग्राहय करने में भूल की है । आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से	

इस तथ्य पर जोर दिया गया है कि अनावेदक गण द्वारा जिस बसियत नामा को अपील का आधार बनाया गया है उसे दुर्गा की मृत्यु के 14 वर्ष बाद क्यों प्रकाश में लाया गया जबकि बसियतनामा तो मरने के तुरंत बाद ही प्रभाव में आ जाता है । उपरोक्त तथ्यों की ओर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा ध्यान नहीं दिया गया और इस तथ्य की ओर भी ध्यान नहीं दिया गया कि यदि दुर्गा द्वारा बसियतनामा लिखा गया होता तो वह दुर्गा की मृत्यु के बाद ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए था । इस प्रकार कथित बसियतनामा के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक–30.6.15 में कोई उल्लेख नहीं किया गया है और न ही इस पर कोई प्रकाश डाला गया है जबकि यह बसियतनामा संदेहास्पद है । धारा 5 के आवेदन में दिन प्रतिदिन का लेखाजोखा बिलम्ब का होना चाहिए वह भी नहीं दिया गया है । उक्त तर्को के साथ निगरानी प्रकरण सुनवाई हेतु ग्राहय करने का निवेदन किया गया है ।

आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में निगरानी मेमों में अंकित तथ्यों तथा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 30.6.15 का परिशीलन किया गया । जिससे यह तथ्य प्रथम दृष्टया ही परिलक्षित हो रहा है कि अनुविभागीय अधिकारी को अनावेदकों की ओर से कथित प्रस्तुत बसियत को 14 साल के बिलम्ब से प्रस्तुत करने के साथ ही उसकी सत्यता की जांच कराये जाने की कार्यवाही करनी चाहिए थी तत्पश्चात प्रस्तुत अपील में धारा 5 के आवेदन पर निर्णय लेना चाहिए था जिसका अभाव अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में पाया गया है ।ऐसी स्थिति में अुनविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक–30.6.15 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है, जो निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित

कल्लो बाई / लल्ती बाई

किया जाता है कि प्रथम दृष्टया कथित बसियत की सत्यता की जांच करायी जावे तथा 14 साल के बिलम्ब से बसियत को प्रकट करने के क्या कारण थे तत्पश्चात धारा 5 के आवेदन पर निर्णय के साथ उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए संहिता में निहित प्रावधानों के अनुसारण में नीतिगत निर्णय पारित करें । उक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी पकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है ।

आशीष श्रीवास्तव,

सदस्य